

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2017/मु. | १७५

जयपुर, दिनांक:- १५/०८/१७

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान न्यायालय के निर्णय रिट पीटिशन नं. 11518 / 2017 दिनांक 02.08.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्गों पर लोक परिवहन सेवा परमिट धारकों के स्टैज कैरिज वाहनों के अनुज्ञापत्र में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (3) प्रकारान्तर हेतु प्राप्त आवेदनों को निस्तारण किया जाना है, अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक २२/०८/२०१७ तक प्रकारान्तर हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	एकल फेरों की संख्या
1	356	नांवा-डीडवाना वाया कुचामनसिटी	7	35
2	329	सुजानगढ़-लाडनू वाया जसवंतगढ़	3	101
3	330	लाडनू-डीडवाना वाया सामला	5	66

आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लूग होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट transport.rajasthan.gov.in पर RPTS Tab किया जा सकता है।

(आर.सी. यादव)

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

जयपुर, दिनांक:- १५/०८/१७

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. | १७५

प्रतिलिपि :-

- श्री संजय सिंघल, सिरटम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
- सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार अजमेर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
- मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
- रक्षित पत्रावली।

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार